न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 73/2023 (GCMS No. 2023/77) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अतरसिंह आयु 42 साल
2. ब्रह्मसिंह आयु 30 साल
3. सिया आयु 45 साल
4. कप्तान आयु 35 साल

पिसरान रामकुमार जाति गूर्जर निवासीयान कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

..........अपीलांट्स

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील श्री महावीरजी जिला करौली।

..........रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.2023 न्यायालय तहसीलदार श्रीमहावीरजी प्रकरण संख्या 114/2022 उनवानी सरकार बनाम अतरसिंह वगै. एवं न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली दिनांक 14.06.2023 मुकदमा नं. 7/2023 उनवानी अतरसिंह वगै. बनाम तहसीलदार।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार श्री निरंजन सिंह वकील

नि र्ण य — दिनांक : 27.09.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अति. जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 14.06.2023 एवं तहसीलदार श्रीमहावीरजी के आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

से हैं कि न्यायालय तहसीलदार श्रीमहावीरजी ने अपीलांटस को आराजी खसरा नम्बर 953 रकवा 1.14 हैक्टे. किस्म बंजड प्रथम एवं ख.नं. 748 रकवा 0.10 हैक्टे. किस्म चाही प्रथम वांके ग्राम कांदरौली पर संवत् 2079 में पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह के सिविल कारावास एवं पेनेल्टी से दण्डित किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली में उक्त आदेश की अपील करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुये अपीलान्टस की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु श्री निरंजन सिंह, राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को धारा 91(क) एल.आर.एक्ट के तहत जो नोटिस जारी किया गया था उसकी तामील प्राप्त मानकर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुने व बिना जबाब व साक्ष्य का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का सनेट की एकमात्र मनगढन्त व झूठी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि पटवारी हल्का ने किस तारीख को रिपोर्ट की व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा किस तारीख को जॉच की गई। पटवारी हल्का के एकतरफा बयानों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कि अपीलार्थी ने सम्वत् 2078 में रबी की फसल में भी सरसों की फसल काश्त की थी। जिसका मुकदमा नंबर 142/2022 सरकार बनाम अतरसिंह व प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर व भूमि से बेदखल करते हुये 454 रूपये शास्ति से दण्डित किया जाना बताया तथा प्रार्थी को उक्त भूमि पर अतिक्रमी माना। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे साबित हो सके कि प्रार्थी को कभी फिजीकली बेदखल किया गया हो। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 952 खसरा नम्बर 953 के चपटेवा है तथा अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि की डोल मेड कर रखी है तथा दोनों समतल हैं। अगर भूलवश अपीलार्थी से कुछ जमीन पर अतिक्रमण हो गया हो तो अपीलार्थी स्वयं ही छोडने को तैयार है। प्रार्थी ने बदयांतिवश खसरा नम्बर 953 पर कोई अतिक्रमण कर फसल नहीं बोई है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक लोगों के दबाब में आकर रंजिशवश मौके पर बिना छानबीन

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

झूठी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी ने पेनल्टी राशि 1160 रूपये जमा करा दिये पटवारी ने 19.01.2023 को रसीद दे दी। राजस्व रिकार्ड में विवादित खसरा नम्बरान सिवायचक दर्ज है और उस पर अपीलान्ट 40 वर्षो से काश्त कर रहे हैं तथा अपीलांट द्वारा फसल बोये जाने व कब्जे का अंकन तत्कालीन खसरा गिरदावरी में ताहाल चला आ रहा है। अपीलान्ट्स ने कोई नया कब्जा सम्वत् 2078 व 2079 में नहीं किया बल्कि 40 वर्षों से निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। अपीलांटस सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है जो एक प्रकार से भूमिहीन है। अपीलांट ने कृषि भूमि के आवंटन के लिए चैयरमैन पट्टा कमेटी (उपखण्ड अधिकारी) को नियमन के लिए आवेदन भी कर रखा है। अपीलांट को वास्तविक रूप से मौके से कभी बेदखल नहीं किया गया। पटवारी हल्का के बयानों एवं घटना वही में कोई अंकन वास्तविक बेदखली का नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 91(2) एल.आर.एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में आरआरडी 1993 (421, 362, 465), आरआरडी 1977 पेज 591, आरआरडी 1979 पेज 559 एवं आरआरडी 1996 पेज 583 व 585 प्रस्तुत किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर कोई गौर नहीं किया। अपीलांट मुकेश, हरवीर व अतर सिंह की खातेदारी का खसरा नम्बर 952 है जिसके पूर्व में विवादित खसरा नम्बर 953 लगा हुआ है ओर खसरा नम्बर 952 के सहारे सहारे रास्ता है। इसी प्रकार अपीलांट अतरसिंह, प्रेमसिंह, समयसिंह, सिरमौर के खसरा नम्बरान इस खसरा नम्बर 953 से सटे हुये है। बिना माप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अपीलांट अपने कब्जे खातेदारी की भूमि के अलावा वर्तमान में खसरा नम्बर 953 के कितने क्षेत्रफल पर काबिज है। धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करने से पूर्व नाप कर सही तथ्यों की जॉच करना आवश्यक है। सब्सीक्विंट ट्रेसपासर को हटाया जाकर नियमन की सिफारिश की जावे। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 04.01.2023 तहसीलदार श्रीमहावीरजी एवं निर्णय दिनांक 14.06.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली अपास्त किये जावें।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तहसीलदार ने ट्रेसपासर माना है। तहसीलदार व अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो सही है। इसके अलावा अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि वे 40 वर्षो से विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं जबकि अपीलांटस की आयु ही

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

40 वर्ष नहीं है, जो उनके कथन को झूठलाता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। पटवारी हल्का सनेट द्वारा ग्राम कांदरौली के खसरा नं. 953 रकवा 1.14 हैक्टे. एवं 748 रकवा 0.10 हैक्टे. राजकीय भूमि पर अपीलांट द्वारा सरसों की काश्त कर संवत् 2079 में रबी में अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का नोटिस जारी किया, जिसकी तामील स्वयं अपीलांटस को हुई। न्यायालय में अपीलांटस के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर पेनल्टी कायम कर बेदखली, शास्ती एवं फसल नीलामी की कार्यवाही की गई। अपीलांटस द्वारा फसल नीलामी में फसल स्वयं ने प्राप्त की तथा फसल नीलामी/पेनल्टी की राशि भी जमा कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में आमजनता कांदरौली ने पीएलपीसी के तहत रिट दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये। भूमि पर अतिचार हटाने के बावजूद पुनः अपीलांट द्वारा अतिचार किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपील में अपीलांटस विवादित भूमि पर 40 वर्षों से काश्त करना अंकित कर रहे हैं जबकि अपील के शीर्षक में उनकी आयु ही 40 वर्ष से कम या करीब है जिससे उनका यह कथन कि लम्बे समय से इस पर काबिज काश्त है, सरासर गलत है। अपीलांट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे अपीलांट के अतिक्रमण नहीं करने की पुष्टि होती हो। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों से हम कतई सहमत नहीं हैं तथा विद्वान पैरोकार द्वारा दिये गये तर्क उचित, सारवान एवं प्रमाणिक हैं जिनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। न्यायालय के मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 एवं 14.06.2023 यथावत रखे जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर